राज्य स्कीम

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–5/निदे0–महा0 वि0–56–03/2015– 71

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (मु0)
–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 13.10.17

विषयः महादलित विकास योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना से बिहार महादलित विकास मिशन को सहायक अनुदान वेतन मद में ₹130.00 लाख एवं सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में ₹16900.00 लाख अर्थात कुल ₹17030.00 लाख (एक अरब सत्तर करोड़ तीस लाख रू0) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि महादलित विकास योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में सहायक अनुदान वेतन मद में 130.00 लाख एवं सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में ₹16900.00 लाख अर्थात कुल ₹17030.00 लाख (एक अरब सत्तर करोड़ तीस लाख रू0) मात्र स्वीकृति पत्रांक– 67 दिनांक – 11.10.2017 द्वारा प्रदान की है। तदनुसार सम्पूर्ण स्वीकृत राशि सहायक अनुदान वेतन मद में ₹130.00 लाख एवं सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में ₹16900.00 लाख अर्थात कुल ₹17030.00 लाख (एक अरब सत्तर करोड़ तीस लाख रू0) मात्र आवंटित की जाती है।

2– आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम मद से मांग संख्या–44 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–102–आर्थिक विकास–उपशीर्ष–0115–महादलित विकास हेतु–विषय शीर्ष–0115.31.04–सहायक अनुदान–वेतन–0115.31.06–सहायक अनुदान– गैर वेतन, विपत्र कोड– 44–2225011020115 अंतर्गत विकलनीय है।

3– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम मद में बजट प्रावधान एवं योजना उद्व्यय उपलब्ध है।

4– इस आवंटित राशि के लिए निकासी पदाधिकारी उपनिदेशक(मु0), अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे। वे राशि की निकासी कर बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के पी0 एल0 खाता संख्या PLA–264 में हस्तांतरित करेंगे। मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से कार्यान्वित होने वाली स्वीकृत योजनाओं यथा बिहार महादलित विकास मिशन के पत्रांक–989 दिनांक–21.08.2017 में उल्लेखित योजनाओं पर ही राशि का व्यय किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नही किया जाएगा।

SANTOSH 528

5– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

6– महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से संबधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

8– राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा योजना से संबधित व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग का निशिचित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

9– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

10– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना मद में बजट प्रावधान एवं योजना उद्व्यय उपलब्ध है।

11– इस राशि का आवंटन वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या– 3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका–8 के आलोक में दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 13/10/17
निदेशक।

ज्ञापांक– 5/निदे0–महा0 वि0–56–03/2015– 71 पटना, दिनांक: 13.10.17

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, वीरचंद पटेल पथ ,बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/आई0 टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदा0–5(निदे0) /सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक। 13/10/17

SANTOSH 529